



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर एनडीपीएस एक्ट में अभियुक्त को 06 माह का कारावास व ₹5,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0- 86/2024 धारा-8/20 एनडीपीएस एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एफटीसी प्रथम/गैंगस्टर कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त गजेन्द्र अहेरिया उर्फ काला पुत्र सोबरन उर्फ सोरन नि0 अहेरियाना कस्बा मंडू थाना हाथरस जंक्शन जनपद हाथरस को 06 माह का कारावास व ₹5,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री प्रवीण सिंह
भदौरिया



विवेचक-
उ0नि0 हरेकृष्ण
यादव



पैरोकार- थाना राठ
का0 प्रदीप भार्गव